



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44576

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 8200 वर्ष 2026

श्रीमती संगीता सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनुज प्रताप सिंह, नागेन्द्र प्रताप सिंह, सुशील कुमार विश्वकर्मा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिपक्षीगण को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिपक्षीगण इस आदेश से किसी प्रकार से व्यथित होते हैं, तो उन्हें इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या 1207 वर्ष 2025 (कम्प्यूटर वाद संख्या सी202502000001207) का निर्णय यथाशीघ्र करें।
4. अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी समय से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आज तक प्रकरण का अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।
5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज उपर्युक्त पुनरीक्षण का निर्णय **विधि के अनुसार यथाशीघ्र** करें तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक : 26 फरवरी, 2026

साकलैन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।